



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री गिरधारी सिंह बनाम श्रीमान् रूनी व अन्य

किस्म मुकदमा

मु0न0 118 सन 2012

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
05.8.19	आज स्थगित का पेशो ने कार्य स्थगित रखा है। पी.ओ.सा.पधर्ते हैं। मिसल वास्तो नियत कार्यवाही हेतु दिनांक.....07-8-19 को पेश हो।	
07-8-19	<p>वकील की उपस्थित / बेंचवारा गुस्ताब पर सुनो गई वदस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अकसौकन किया गया। जोर अकसौकन बेंचवारा यथाउस्ताब स्वीकारा मोग्य होने से स्वीकारा किया जाता है। इतिहास निर्णय पृष्ठक से टाईप करवाकर केरे टुस्तासद से शा. मिसल किया गया। निर्णय शामिल मिसल रहे। पत्रावली फेसल सुमाद डोकद बन्धन से कम है।</p> <p>(जसमीतसिंह संबु)</p> <p>उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला-अजमेर
पीठासीन अधिकारी - श्री जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 118/2012

श्री गिरधारीसिंह आयु 52 वर्ष पुत्र श्री लालसिंह जाति रावत निवासी-ग्राम भगवानपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) -----वादी

व ना म

- 1- श्रीमती पूनी आयु 40 वर्ष पुत्री स्व. श्री उजीरा पत्नि श्री लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
- 2- श्रीमती माली आयु 60 वर्ष पत्नि स्व. श्री उजीरा
- 3- श्री केशा आयु 65 वर्ष पुत्र श्री लाला जाति रावत निवासीयान ग्राम भगवानपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर(राज.)
- 4- श्रीमान् उपपंजीयन महोदय, ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 5- राजस्थान सरकार जरिये भूधारक, श्रीमान् तहसीलदार महोदय, ब्यावर जिला अजमेर राज.

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 07-8-19

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 16-05-2016 को विभाजन की अंतरिम/प्रारंभिक निर्णय/डिक्री पारित कर आदेश दिया गया कि - "वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मौजा भगवानपुरा पटवार क्षेत्र भगवानपुरा तहसील ब्यावर के खसरा नंबर 511 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म आ-1गैमु0, 513 रकबा 12 बिस्वा किस्म बा-3, 514 रकबा 16 बिस्वा किस्म बा-1, 515 रकबा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म बा-2, 516 रकबा 3 बिस्वा किस्म बा-3, 517 रकबा 3 बिस्वा किस्म बा-3, 518 रकबा 3 बिस्वा किस्म बा-3, 519 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किस्म बा-1, 520 रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म गै0मु0चाह, 521 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म आ02, 522 रकबा 13 बिस्वा किस्म आ01गैमु. अनुसार वादी गिरधारीसिंह पुत्र लालसिंह हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः पूनी पुत्री उजीरा, माली बैवा उजीरा हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 3 केशा पुत्र लाला हिस्सा 1/3 दर्ज होना पाया गया। अतः वाद वादी स्वीकार होने योग्य पाये जाने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार ब्यावर को आदेश दिये जाते हैं, उपरोक्तानुसार विवादित भूमियो का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य पृथक पृथक खाते कायम कर बाँई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।"

तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक/भूअ./2019/3009 दिनांक 20.06.2019 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने से उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिन्होंने यथाप्रस्ताव बंटवारा की अंतिम डिक्री जारी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में ग्राम भगवानपुरा पटवार क्षेत्र भगवानपुरा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) की आराजियात का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	पूनी पुत्री उजीरा व श्रीमती माली पत्नि उजीरा कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नवशा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है।	515	00-04-10	बा.2	0.90
		514/2	00-05-10	बा.1+	
		519/1	00-11-00	बा.1+	
		521/2	00-17-00	बा.2	
		511/2	00-10-00	आ.1गै.मु.	
		513/2	00-04-00	बा.3	
		522/2	00-04-10	आ.गै.मु.	
	कुल कित्ता	7	02-16-10		

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
 ब्यावर



क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
2	किशनसिंह वल्द केशरसिंह लीला, डाली, टेगा पुत्रियां केशरसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाया गया है।	516	00-03-00	वा.3	0.90
		518	00-03-00	वा.3	
		514/1	00-05-10	वा.1+	
		519/2	00-11-00	वा.1+	
		521/3	00-17-00	वा.2	
		511/3	00-10-10	आ.1गै.मु.	
		522/3	00-04-10	आ.1गै.मु.	
	कुल कित्ता	7	02-14-10		
3	गिरधारीसिंह वल्द लालसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार राहिन अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. अजमेर के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में वैंगनी रंग से दर्शाया गया है।	517	00-03-00	वा.3	1.00
		514/3	00-05-00	वा.1+	
		519/3	00-11-00	वा.1+	
		521/1	00-17-00	आ.2	
		511/1	00-10-10	आ.1गै.मु.	
		513/1	00-08-00	वा.3	
		522/1	00-04-00	आ.1गै.मु.	
	कुल कित्ता	7	02-18-10		

खसरा संख्या 520 किस्म चाह रकबा 00-02-10 शामिलता में यथावत रखा गया है। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07-08-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जसवीर सिंह संधु)
जसवीर सिंह संधु
उपसहायक कलक्टर
ब्यावर
सहायक कलक्टर, ब्यावर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम जसमीत सिंह संधु आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 118/2012

श्री गिरधारीसिंह आयु 52 वर्ष पुत्र श्री लालसिंह जाति रावत निवासी-ग्राम भगवानपुरा,
तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

-----वादी

ब नाम

- 1- श्रीमती पूनी आयु 40 वर्ष पुत्री स्व. श्री उजीरा पत्नि श्री लक्ष्मण सिंह निवासी
ग्राम सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
- 2- श्रीमती माली आयु 60 वर्ष पत्नि स्व. श्री उजीरा
- 3- श्री केसा आयु 65 वर्ष पुत्र श्री लाला
जाति रावत निवासीयान ग्राम भगवानपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर(राज.)
- 4- श्रीमान् उपपंजीयन महीदय, ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 5- राजस्थान सरकार प्जरिये भूधारक, श्रीमान् तहसीलदार महीदय, ब्यावर जिला
अजमेर राज.

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन
मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुकम दिया जाता है कि, यथाप्रस्ताव
बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में
ग्राम भगवानपुरा पटवार क्षेत्र भगवानपुरा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) की
आराजियात का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	पूनी पुत्री उजीरा व श्रीमती माली पत्नि उजीरा कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है।	515	00-04-10	बा.2	0.90
		514/2	00-05-10	बा.1+	
		519/1	00-11-00	बा.1+	
		521/2	00-17-00	बा.2	
		511/2	00-10-00	आ.1गै.मु.	
		513/2	00-04-00	बा.3	
	कुल कित्ता	7	02-16-10		
2	किशनसिंह वल्द केशरसिंह लीला, डाली, टेमा पुत्रियां केशरसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में केशरिया रंग से दर्शाया गया है।	516	00-03-00	बा.3	0.90
		518	00-03-00	बा.3	
		514/1.	00-05-10	बा.1+	
		519/2	00-11-00	बा.1+	
		521/3	00-17-00	बा.2	
		511/3	00-10-10	आ.1गै.मु.	
	कुल कित्ता	7	02-14-10		
3	गिरधारीसिंह वल्द लालसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार राहिन अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. अजमेर के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।	517	00-03-00	बा.3	1.00
		514/3	00-05-00	बा.1+	
		519/3	00-11-00	बा.1+	
		521/1	00-17-00	आ.2	
		511/1	00-10-10	आ.1गै.मु.	
		513/1	00-08-00	बा.3	
	कुल कित्ता	7	02-18-10		

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधु)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



अंतिम डिम्बी मुकदमा इन्तदाई
श्री गिस्वारीसिंह बनाम श्रीमती पूनी व अन्य
राजस्व वाद संख्या 118/2012

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

खसरा संख्या 520 किस्म चाह रकबा 00-02-10 शामिलता में यथावत रखा गया है। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। निजी.....मुबलिक.....बाबत..... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरहफीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करे।

बहस्व मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07-08-2019 को जारी किया गया ।



(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

